भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2414
सोमवार, 13 दिसम्बर, 2021/22 अग्रहायण, 1943 (शक)

अनौपचारिक क्षेत्र का संकुचन

2414. श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 में अनौपचारिक क्षेत्र तेजी से संकुचित हुआ और पिछले पांच वर्षों के दौरान और आज तक महामारी के प्रतिकूल प्रभावों का असर इस क्षेत्र के कामगार पर पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा, इसके कारण और उक्त क्षेत्र की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में उठाए जा रहे सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) एवं (ख): वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रिपोर्ट के अनुसार, मालिकाना और भागीदारी उद्यमों को अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में माना जाता है। 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान गैर-कृषि क्षेत्र में लगे कामगारों में मालिकाना और साझेदारी (पी एंड पी) उद्यमों में लगे कामगारों की सामान्य स्थिति (पीएस + एसएस) का प्रतिशत क्रमशः 68.2%, 68.4% और 69.5% है।

सरकार ने हाल ही में निर्माण कामगारों, प्रवासी कामगारों, गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों, रेहड़ी पटरी वालों, घरेलू कामगारों, कृषि कामगारों आदि सहित असंगठित कामगारों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के लिए ई-श्रम पोर्टल प्रारंभ किया है। 8.12.2021 को ई -श्रम पोर्टल पर 11.08 करोड़ कामगारों ने इस पोर्टल पर पंजीकरण कराया है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। भारत सरकार पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), ग्रामीण विकास मंत्रालय की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) एवं पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) एवं कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) की प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) आदि जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय करना।

भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इस पैकेज में देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

सरकार ने 20 जून, 2020 को 125 दिनों का गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए) शुरू किया था ताकि बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 6 राज्यों के 116 चयनित जिलों में वापस लौटने वाले प्रवासी कामगारों तथा इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं सहित प्रभावित व्यक्तियों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया जा सके।

प्रधान मंत्री रेहड़ी-पटरी वालों की आत्म निर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना 01 जून, 2020 को प्रारंभ की गई थी ताकि कोविड-19 के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुए रेहड़ी-पटरी वालों को शहरी क्षेत्रों में पटरी लगाने हेतु अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने के लिए, कार्यशील पूंजीगत ऋण प्रदान किया जा सके।

सरकार द्वारा स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) कार्यान्वित की जा रही है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है। योजना के तहत नवंबर 2021 तक 31.28 करोड़ ऋण संस्वीकृत किए गए।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारों तथा उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशीप कार्यक्रम उत्पादक रोजगार के अवसर सृजित करने के प्रति भी उन्मुख हैं।

*****